अवकाश/पत्रावली

प्राप्ति सं 277
दिनांक 29/10/22

प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल ।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड ।

27 अक्टूबर 2022

पत्रांकः 4985 /डिग्री सेवा–1/2022–23 दिनांकः ~~19-अक्टूबर-2022~~

विषय– प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाओं, सेमिनारों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा लोक सेवा आयोगों आदि के परीक्षकत्व कार्यों हेतु अवकाशों के स्पष्टीकरण विषयक ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या डिग्री सेवा/465/530/2007–08 दिनांक 12–04–2007 तथा शासन के पत्र संख्या–3276 दिनांक 06–12–2013 (संलग्न) के बिन्दु संख्या 07 के सम्बन्ध में कतिपय प्राचार्यों द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

उक्त के क्रम में निम्नानुसार संज्ञान ग्रहण करें ।

(1) प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाओं, सेमिनारों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा लोक सेवा आयोगों आदि के परीक्षकत्व कार्यों हेतु यह अवकाश प्रदत्त किए जा सकेंगे ।

(2) एक कलैण्डर वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) हेतु अधिकतम 15 दिनों का अवकाश देय होंगे जिसमें यात्रा दिवस सम्मिलित होंगे ।

(3) यह अवकाश 'कर्तव्य अवकाश' (D.L. - Duty Leave) के रूप में प्रदान किए जा सकेंगे ।

(4) यह अवकाश प्राध्यापकों के विषयों/अन्तर–विषयी सेमीनारो/संगोष्ठियों आदि के दृष्टिगत देय हो सकेंगे । असंगत विषयों हेतु यह अवकाश देय नही होंगे ।

(5) अवकाश, नियमानुसार आवेदन की पूर्व स्वीकृति पर देय होगे एवं यथा अवकाश उपभोग उपरान्त सम्बन्धित संस्था का प्रतिभाग प्रमाणपत्र/साक्ष्य की छायाप्रति महाविद्यालय में उपलब्ध करानी होंगी ।

(6) प्राचार्यों/अधिकारियों द्वारा युक्तियुक्त (Reasonable) आधार पर प्राध्यापकों को अवकाश स्वीकृत किए जाने होंगे ।

अतः उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न– यथोपरि

भवदीय

डा0(राजीव रतन)
उप निदेशक
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)